

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।

ब्रह्मण्डपुरी

कार्यालय आदेश ।

ओड़िजी माध्यम एवं एनोवी०ई०आर०टी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सैन्ट पाँल स्कूल व्यावर जिला अजमेर को उच्च प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता दिनांक ।-७-८९ से प्रदान की जाती है। विभागीय नियमों की पालना न करने पर स्थाई मान्यता रद्द की जा सकती है।

८०
४ ललित के०पतार ४
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

क्रमांक- शिविरा/प्राथ/सी/19438/161/87-89

दिनांक 7-8-89

प्रतिलिपि निम्नान्वित वो सूचनार्थ एवं आकायक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

१. संघर्षक निदेशक पुजनीराजा विभाग, जयपुर ।
२. जिला शिक्षा अधिकारी छात्र सभाएँ अजमेर ।
३. सचिव, सैन्ट पाँल स्कूल, व्यावर अजमेर ।
४. अनुभाग अधिकारी, अनुदान अनुभाग, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ।
५. रक्षित पत्रावली ।


निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।